



THE BANSWARA CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD

Head Office, College Road, Banswara - 327001

दी बांसवाड़ा सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.

प्रधान कार्यालय, कॉलेज रोड, बांसवाड़ा - 327001

Ph. (02962) 243784

क्रमांक : बी.सी.सी.बी. / बी / लेखा / फा.-25 / 2022-23 / 3040-55

दिनांक 29-04-2022

- : परिपत्र : -

बैंक के पत्र क्रमांक बी.सी.सी.बी. / फा-25-2017-18 / 3923-39 दिनांक 24.04.2017 में फार्म सेक्टर एवं नोन फार्म सेक्टर के तहत अग्रिम किये जाने वाले ऋणों पर ब्याज दर निर्धारित की गई थी।

दिनांक 15.05.2022 से फार्म सेक्टर एवं नोन फार्म सेक्टर के तहत वितरित ऋणों पर निम्नानुसार ब्याज दर में संशोधन किये गये हैं।

क्र. सं.	ऋण के प्रकार	बैंक द्वारा सीधे वितरित ऋणों पर ब्याज दर	बैंक द्वारा समिति से चार्ज की जाने वाली ब्याज दरें
1.	अल्पकालीन कृषि ऋण / कृषक मित्र योजना	7.00	5.00
2.	फार्म सेक्टर-		
3.	1 डेयरी, लघुसिंचाई, स्वयं सहायता समूह	12.00	11.00
4.	2 फार्म मेकेनाइजेशन, धेशर	13.00	12.00
5.	नोन फार्म सेक्टर,		
6.	स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड, विश्वास योजना, जनजाति योजना, कृषक समृद्धि योजना, किसान सम्बल योजना, स्वयं सहायता समूह, एससी/एसटी पोप, औद्योगिक वाहन, प्रोफेशनल ऋण	12.00	11.00
7.	जनमंगल आवास ऋण योजना/भवन ऋण	8.50 (Fixed) 7.50 (Floating)	- -
8.	प्राइवेट कार-जीप	7.50 (Floating)	-
9.	नगद साख सीमा एवं ट्रेडर्स लिमिट व्यवसायियों के लिये	10.00	-
10.	सीसी समितियां	-	11.00
11.	उच्च तकनीकी शिक्षा	11.00	-
12.	पी.एल.आई. प्राइवेट	14.50	-
13.	पी.एल.आई. गर्वमेंट सर्वेन्ट	12.00	-
14.	अचल सम्पत्ति के विरुद्ध ऋण	10.00	-
15.	दुपहिया वाहन ऋण	9.00	-


समस्त प्रकार के कृषि ऋणों के अवधिपार होने पर 2 प्रतिशत एवं अकृषि ऋणों के अवधिपार होने पर 3 प्रतिशत दण्डनीय ब्याज लिया जावेगा। दिनांक 15.05.2022 से पूर्व बकाया ऋणों/आंशिक वितरित ऋणों पर ब्याज पूर्व की दरों से वसूल किया जावेगा।


प्रबन्ध निदेशक

बैंक
प्रबन्ध निदेशक
दी बांसवाड़ा सेंट्रल को-ऑपरेटिव
बैंक लि. बांसवाड़ा (राज.)

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य प्रबन्धक, बैंक।
2. प्रबन्धक, ऋण/विकास/प्रशासन/जनरल, बैंक
3. कम्प्युटर प्रोग्रामर बैंक को टीसीएस सॉफ्टवेयर में ब्याज दर अंकित कराने हेतु प्रेषित है।
4. शाखा प्रबन्धक शाखा
5. आदेश पत्रावली।


प्रबन्ध निदेशक
बैंक



क्रमांक : बी.सी.सी.बी. / बी / लेखा / फा. - 25 / 2022-23 / 23209-26

दिनांक 28-10-2022

- : परिपत्र : -

बैंक के पत्र क्रमांक बी.सी.सी.बी. / फा-25-2022-23 / 3040-55 दिनांक 29.04.2022 में फार्म सेक्टर एवं नोन फार्म सेक्टर के तहत अग्रिम किये जाने वाले ऋणों पर ब्याज दर निर्धारित की गई थी।

दिनांक 07.11.2022 से फार्म सेक्टर एवं नोन फार्म सेक्टर के तहत वितरित ऋणों पर निम्नानुसार ब्याज दर में संशोधन किये गये हैं।

क्र. सं.	ऋण के प्रकार	बैंक द्वारा सीधे वितरित ऋणों पर ब्याज दर	बैंक द्वारा समिति से चार्ज की जाने वाली ब्याज दर
1.	अल्पकालीन कृषि ऋण / कृषक मित्र योजना	7.00	5.00
2.	फार्म सेक्टर-		
3.	1 डेयरी, लघुसिंचाई, स्वयं सहायता समूह	12.00	11.00
4.	2 फार्म मैकेनाइजेशन, शेसर	13.00	12.00
5.	नोन फार्म सेक्टर,		
6.	स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड, विश्वास योजना, जनजाति योजना, कृषक समृद्धि योजना, किसान सम्बल योजना, स्वयं सहायता समूह, एससी/एसटी पोप, औद्योगिक वाहन, प्रोफेशनल ऋण	12.00	11.00
7.	सहकारी आवास ऋण योजना झीम होम	8.50 (Floating)	-
8.	प्राइवेट कार-जीप	8.50 (Floating)	-
9.	नगद साख सीमा एवं ट्रेडर्स लिमिट व्यवसायियों के लिये	11.00	-
10.	सीसी समितियां	-	11.00
11.	उच्च तकनीकी शिक्षा	11.00	-
12.	पी.एल.आई. प्राइवेट	14.50	-
13.	पी.एल.आई. गवर्मेन्ट सर्वेन्ट	12.00	-
14.	अचल सम्पत्ति के विरुद्ध ऋण	11.00	-
15.	दुपहिया वाहन ऋण	9.00	-

समस्त प्रकार के कृषि ऋणों के अवधिपार होने पर 2 प्रतिशत एवं अकृषि ऋणों के अवधिपार होने पर 3 प्रतिशत दण्डनीय ब्याज लिया जावेगा। दिनांक 07.11.2022 से पूर्व बकाया ऋणों/आंशिक वितरित ऋणों पर ब्याज पूर्व की दरों से वसूल किया जावेगा।

प्रबन्ध निदेशक
बैंक

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य प्रबन्धक, बैंक।
2. प्रबन्धक, ऋण/विकास/प्रशासन/जनरल, बैंक
3. कम्प्यूटर प्रोग्रामर बैंक को टीसीएस सॉफ्टवेयर में ब्याज दर अंकित कराने हेतु प्रेषित है।
4. शाखा प्रबन्धक शाखा
5. आदेश पत्रावली।

प्रबन्ध निदेशक
बैंक



THE BANSWARA CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD
Head Office, College Road, Banswara - 327001
दी बांसवाड़ा सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
प्रधान कार्यालय, कॉलेज रोड, बांसवाड़ा - 327001
Ph. (02962) 243784

क्रमांक : बी.सी.सी.बी./बी/2022.23/35977-87

दिनांक 02.03.2023
०५

शाखा प्रबंधक


शाखा _____

विषय : व्यक्तिगत ऋण योजना (PLI) के सम्बन्ध में

विषयांतर्गत लेख है कि दिनांक 09.03.2023 से व्यक्तिगत ऋण योजना (PLI) की ब्याज दरों में निम्नानुसार परिवर्तन किया जाता है :

ऋण प्रकार	नवीन ब्याज दर	अधिकतम ऋण सीमा
व्यक्तिगत ऋण योजना (सरकारी कर्मचारी)	14	700000*
व्यक्तिगत ऋण योजना (अन्य)	15	300000

उपरोक्त परिवर्तन की सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की गई है.


मुख्य प्रबंधक बैंक
मुख्य प्रबंधक
बांसवाड़ा सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव
बैंक लि बांसवाड़ा (राज)

